राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1380/2022

अनिता शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, भरतपुर।
5. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.04.2022
आदेश की दिनांक : 03.05.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री रिशिराज, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

अपील में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–।।। के पद पर आदेश दिनांक 13.11.1997 के जरिये हुई थी। इसके पश्चात आदेश दिनांक 15.01.2000 के जरिये अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–।।। के पद पर नियमित किया गया। अपीलार्थी ने इन्द्रा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से वर्ष 2012 में बीएड की पढाई पूरी की। अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 18.06.2014 के जरिये अपनी बीएड की योग्यता की अभिवृद्धि को सेवा पुस्तिका में दर्ज करने के लिए प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित किया। इसके पश्चात अपीलार्थी ने 2 ओर प्रार्थना पत्र इस संबंध में दिनांक 14.11.2014 व 24.11.2014 करे प्रेषित किया। प्रत्यर्थी विभाग ने अपने रिकॉर्ड में काफी समय तक अपीलार्थी की अभिवृद्धित योग्यता रिकॉर्ड में अंकित नहीं करी। बाद में अभिवृद्धि योग्यता दिनांक 08.07.2015 के आदेश के जरिये दर्ज की गई। उक्त आदेश दिनांक 08.07.2015 में अपीलार्थी की मण्डल मिश्रित वरिष्ठता क्रमांक 270 अंकित की गई। माह नवंबर, 2014 में प्रत्यर्थी विभाग ने अध्यापक ग्रेड–।।। से अध्यापक ग्रेड–।। में पदोन्नति के लिए डीपीसी करते हुए चयन सूची जारी की, जिसमें अपीलार्थी का नाम नहीं था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि वरिष्ठता और योग्यता होने के बावजूद भी अपीलार्थी को पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल नहीं कर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी अभिवृद्धि योग्यता का दिनांक 08.07.2015 को अंकन होने के उपरांत मण्डल स्तरीय वरिष्ठता सूची प्रविष्टि पर ही पदोन्नति के लिए पात्र होती है। चूंकि अपीलार्थी का इन्द्राज 08.07.2015 के पश्चात हुआ है। इस कारण यह वर्ष 2016–17 में पदोन्नति के लिए पात्रता रखती है एवं इसी अनुरूप अपीलार्थी को नियमानुसार ही पदोन्नति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त अनुलग्नक–5 का अपीलार्थी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह पूर्व वर्ष की डीपीसी से संबंधित है। अपीलार्थी को नियमानुसार पदोन्नति का लाभ वरिष्ठता एवं नियमानुसार प्रदान किया गया है।

दोंनो पक्षों के उपरोक्त तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। यह स्पष्ट रूप से प्रकट है कि अपीलार्थी ने बीएड परीक्षा 08.02.2013 को उत्तीर्ण कर ली थी। जिसके संबंध में अंकतालिका (अनुलग्नक–2) प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी ने दिनांक 18.06.2014 को एक प्रतिवेदन भी इस आशय से प्रस्तुत कर दिया था कि अभिलेख में योग्यता की अभिवृद्धि दर्ज की जाये। इसके पश्चात भी अपीलार्थी ने दो अन्य अभ्यावेदन दिनांक 14.11.2014 व 24.11.2014 को प्रेषित किया। अपीलार्थी की बी.एड. की योग्यता की अभिवृद्धि प्रत्यर्थीगण ने 08.07.2015 को दर्ज की। जबकि अभिलेख की अभिवृद्धि के लिए प्रतिवेदन पूर्व में दिनांक 18.06.2014 को ही प्रस्तुत हो चुका था। अतः यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि योग्यता में अभिवृद्धि दर्ज करने में 1 वर्ष से अधिक समय की देरी की गई। योग्यता में अभिवृद्धि दर्ज नहीं होने के कारण वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी विषय हेतु मुख्य चयन सूची वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 में अपीलार्थी का नाम दर्ज नहीं हुआ। अतः उक्त वर्षों में रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के द्वारा योग्यता रखने के बाद भी अपीलार्थी का नाम वरियता सूची में नहीं जोड़ा गया। इस कारण से अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की जा सकी और बाद में अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई। हमारे मत में अपीलार्थी मुख्य चयन सूची वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 रिक्तियों के विरूद्ध चयन के लिए विचार योग्य था, क्योंकि अपीलार्थी ने 2013 में ही बी.एड. की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और उसने अपनी योग्यता रिकॉर्ड में दर्ज कराने हेतु पत्र भी दिनांक 18.06.2014 को प्रस्तुत कर दिया था।

इस प्रकार हमारे विनम्र मत में उक्त मामलें के क्रम में अपीलार्थी द्वारा विलम्ब किया जाना प्रकट नहीं होता है। बल्कि उक्त कार्यवाही में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ही अनावश्यक विलम्ब किया जाना परिलक्षित होता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी की वरिष्ठता एवं योग्यता को ध्यान में रखते हुए रिव्यू डीपीसी बैठक आयोजित करावें और अपीलार्थी की वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध उसकी पदोन्नति पर पुनः नियमानुसार विचार कर यथोचित निर्णय लिया जावे।

आदेश आज दिनांक 03.05.2023. को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

अनन्त भण्डारी,
सदस्य (न्यायिक)

सत्यमेव जयते